न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 257/2015

1. करनैलकौर पत्नी स्व. श्री गुरदित्तासिंह
2. गुरमेलसिंह पुत्र स्व. श्री गुरदित्तासिंह
3. सरवेलसिंह पुत्र स्व. श्री गुरदित्तासिंह
4. मेजरसिंह पुत्र स्व. श्री गुरदित्तासिंह
5. बलराजसिंह पुत्र स्व. श्री गुरदित्तासिंह

} जाति जटसिख साकिन 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. बलदेवसिंह
2. टेकसिंह
3. गुरदेवसिंह
4. सुखदेवसिंह

} पुत्र श्री कौरसिंह जाति जटसिख साकिन 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. हरचन्दसिंह पुत्र श्री वीरसिंह जाति जटसिख निवासी 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. सुखदेव कौर पत्नि श्री हरचन्द सिंह जाति जटसिख साकिन 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. जसपाल कौर पत्नि श्री हरचन्द सिंह जाति जटसिख साकिन 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

9. गुरदीपसिंह
10. कुलजीतसिंह

} पुत्र श्री गुरदित्तासिंह जाति जटसिख साकिन 28 जी.जी. जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री प्रदीप कुमार सिहाग अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री ओ.पी. बत्तरा अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 1, ता 4
3. श्री अशोक सहारण अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7, 9, 10

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.06.2017

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 9 व 10 के नाम से चक 28 जी.जी. जोधेवाला के खाता संख्या 8/10 में मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 25 में बहिस्सा बराबर 6.325 हैक्टर तथा इसी चक के खाता संख्या 68/74 के मुरब्बा नम्बर 20 (जो मुरब्बा नम्बर 13 के साथ दक्षिण दिशा में लगता है) में 0.253 हैक्टर कुल 6.578 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम चक 28 जी.जी. जोधवाला के खाता संख्या 32/37 में मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 13/1 में कुल 3.163 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला

लगातार ____ 2

बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, तथा मुरब्बा नम्बर 19 को किला नम्बर 2 ता 9, 13/2 ता 16 व 25 अप्रार्थी संख्या 5 की पत्नियों सुखदेव कौर व जसपाल कौर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण अपनी भूमि में काश्त करनें हेतु मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 से सरकारी रास्ता से होते हुए मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के खाला के साथ साथ होतु हुए अपनें मुरब्बा नम्बर 13 में प्रवेश करते थे। प्रार्थीगण की मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 20 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11 को आपसी रजामन्दी से घरू तौर पर रास्ता के रूप में उपयोग करते रहे है।

प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जानें हेतु मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थीगण को उक्त रास्ता अपनी कृषि भूमि जो मुरब्बा नम्बर 13 में स्थित है में आनें जानें हेतु उपयुक्त एवम् लघुत्तम मार्ग है। चूँकि इस मांगे गये रास्ते से प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 दोनों खातों के काश्तकारों को रास्ता उपलब्ध हो जायेगा।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 3/1 की कृषि भूमि दर्ज है तथा इन पक्षकारों को भी अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में जानें हेतु रास्ते की आवश्यक्ता है। जो इसी मुरब्बा के किला नम्बर 21–22 से होते हुए अपनें खेत में आ जा सकते है। प्रार्थी का मुरब्बा नम्बर 20 में किला नम्बर 20 पर कब्जा काश्त है। तथा जमाबन्दी में दर्ज है वह एक एक बिस्वा रास्ता देनें को तैयार है।

अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से जब से खाला सिंचाई विभाग द्वारा पक्का बनाया गया है आनें जानें में व्रूवधान उत्पन्न करनें लग गये है प्रार्थीगण नें अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को कई बार उक्त रास्ते को सरकारी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवानें हेतु कहा तो वे दिनांक 06.09.2015 को बमुकाम 28 जी.जी. जोधवाला में साफ इन्कार हो गये यही हेतुक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें का प्रार्थीगण को प्राप्त है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 वर्तमान में प्रार्थीगण को बेवजह उनकी कृषि भूमि में आनें जानें से व्यवधान पैदा कर रहे है। तथा रास्ता को बन्द करनें की धमकी दे रहे है।

प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 21 तथा मुरब्बा नबर 19 के किला नम्बर 25 के खातेदारो को इस रास्ते की भूमि की एवज में डी.एल.सी. दर से राशि मुआवजे के रूप में देनें को तैयार एवम् तत्पर है तथा तकनिकी दृष्टि से यही एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के लिये उपयुक्त है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आ–जा सकते है।

अप्रार्थी संख्या 9 व 10 प्रार्थीगण के ही भाई है एवम् उनका हित भी प्रार्थीगण के हित में निहित है। परन्तु वे मौके पर उपस्थित नहीं होनें के कारण उनको इस प्रार्थना पत्र में औपचारिक पक्षकार बनाया जा रहा है।

अतः प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 28 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 13 व मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 20 में आनें जानें हेतु मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के पश्चिमी दिशा में एक एक बिस्वा रास्ता दक्षिण से उत्तर दिशा में स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया उपतहसीलदार चूनावढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 में प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता चाहा गया है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इस मुरब्बा में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत व प्रचलित नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1, ता 4 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया जबाब प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कथन किया गया कि चक 28 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 21 में कोई रास्ता नहीं चल रहा है। बल्कि अप्रार्थी द्वारा जनाबवाला के समक्ष पूर्व में प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। जिसमें मुरब्बा नम्बर 20 के लिये रास्ता मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में रास्ता चल रहा है। तथा इसी में रास्ता मंन्जुर किया जावे जिस पर तहसीलदार से रिपोर्ट भी मांगी थी वह रिपोर्ट भी आ गई है। जिसमें मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में रास्ता चल रहा है। अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र की जानकारी होनें के बाद प्रार्थीयान द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि मुरब्बा नम्बर 20 में किला नम्बर 1, 10, 11 में कोई रास्ता नहीं चल रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज करनें योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 द्वारा जबाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता जो कि मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 व मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21, 20, 11, 10, 1 में से दिया जाता है, तो अप्रार्थीगण अपनें नाम से खातेदारी दर्ज रकबा यानि मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 एवम् मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 का मुआवजा नहीं लेगें यदि न्यायालय आदेश प्रदान करें तो अप्रार्थीगण मुआवजा न लेनें के सम्बध में शपथ पत्र भी देनें को तैयार है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में आनें जानें हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। तथा चाहा गया रास्ता सबसे कम दूरी का होनें के कारण सुविधा सन्तुलन की दृष्टि भी भी उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। तथा प्रार्थी की भूमि को आनें जानें हेतु प्रार्थी के ग्राम से इस रास्ते के अलावा कम दुरी का कोई रास्ता नहीं होनें के कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 21 तथा मुरब्बा नबर 19 के किला नम्बर 25 में से स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें अपनें जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा कथन किया किया अन्य पत्रावली संख्या 230/2015 में भी मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में रास्ते की मांग की जा रही है। अतः मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में से रास्ता स्वीकृत किया जावे ताकि मुरब्बा नम्बर 20 के काश्तकारान को रास्ते की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

– :: आदेश ::–

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में से एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जा चुका है। इस कारण मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 21 मे से रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सचिव लोक अदालत
श्रीगंगानगर